भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
अहमदाबाद

बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त - "सिक्कों के परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में पूरी तरह से कवर की गई बंद नकदी वैन/ कंटेनर ट्रकों/ बंद वाहनों की आपूर्ति" के लिए ई-निविदा

ई-निविदा संख्या: आरबीआई/अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/26-27/ईटी/83

दिनांक 04 जून 2026 (गुरुवार) को प्रातः 11:00 बजे निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद में उक्त ई-निविदा हेतु बोली-पूर्व बैठक का आयोजन किया गया।

2. बोली-पूर्व बैठक के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित अधिकारी और इच्छुक निविदाकर्ता उपस्थित रहे:

क्र. सं.	नाम और पदनाम (आरबीआई)
1.	श्री राजेंद्र बालौत, प्रभारी उप महाप्रबंधक
2.	श्री चंद्रपाल सिंह उमठ, सहायक महाप्रबंधक
3.	श्री टी आर मुदलियार, सहायक महाप्रबंधक
4.	श्री सारंग सालुंके, सहायक प्रबंधक
5.	श्री प्रशांत सोनवणे, सहायक प्रबंधक

क्र. सं.	फर्म का नाम	फर्म के प्रतिनिधि का नाम
1.	मेसर्स राज ट्रांसपोर्ट सर्विस	श्री महेश शर्मा
2.	मेसर्स अर्पित गुड्स कैरियर	श्री अर्पित शर्मा
3.	मेसर्स एसआईएस कैश लि.	श्री प्रशांत काले और श्री मोंटू शाह

3. बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्न और उस पर रिज़र्व बैंक के अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण नीचे दिये गए हैं:

क्र. सं.	संभावित निविदाकर्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्टीकरण
1.	क्या सिक्कों के मामले में बैंक गारंटी की राशि में कोई परिवर्तन होगा?	फ़र्मों को निविदा दस्तावेज़ के खंड V में वर्णित 'सामान्य और विशेष शर्तों' के पैरा बी का संदर्भ लेने की सलाह दी गई।
2.	कृपया सिक्कों की आवाजाही की प्रक्रिया की पुष्टि करें।	फर्मों को निविदा दस्तावेज़ के खंड V के पैरा 1 (निविदा का दायरा) का संदर्भ लेने की सलाह दी गई।
3.	कृपया पुष्टि करें कि क्या सिक्के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सीलबंद बक्सों में प्रदान किए जाएंगे?	फर्मों को निविदा दस्तावेज़ के खंड V के पैरा 1 (निविदा का दायरा) का संदर्भ लेने की सलाह दी गई।
4.	यदि किसी बाह्य गंतव्य स्थल, जो गुजरात राज्य के बाहर है (जैसे केंद्र शासित प्रदेश) को निर्दिष्ट किया जाता है, तो क्या ठेकेदार	फर्मों को निविदा दस्तावेज़ के खंड IX (भाग II – मूल्य बोली) के पैरा 2 का संदर्भ लेने की सलाह दी गई।

क्र. सं.	संभावित निविदाकर्ताओं द्वारा पूछे गए प्रश्न	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्पष्टीकरण
	को खाली ट्रक के साथ की गई वापसी यात्रा के लिए मुआवजा दिया जाएगा?	
5.	शहर के भीतर और शहरों के बीच अनुमानित आवाजाही (मूवमेंट) की संख्या क्या होगी?	फर्मों को निविदा दस्तावेज़ के खंड IX (भाग II – मूल्य बोली) के पैरा 11 का संदर्भ लेने की सलाह दी गई।
6.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के बैंक विवरण: • हमारी फर्म एक लिमिटेड कंपनी है और हमारे पास दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में लेन-देन होते हैं। इसके परिणामस्वरूप, पीडीएफ फ़ाइल में कई सारे पृष्ठ हैं और इसका आकार बहुत बड़ा है। कृपया जानकारी दें कि क्या इसका कोई अन्य वैकल्पिक तरीका है।	निविदा दस्तावेज़ के खंड III (एमएसटीसी पोर्टल पर ई-खरीद हेतु महत्वपूर्ण अनुदेश) के पैरा 1 के संदर्भ में, फर्म को इस संबंध में एमएसटीसी (MSTC) के अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी गई।
7.	क्या यह निविदा सिक्कों के केवल परिवहन कार्य के लिए है या इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक या नकदी केंद्रों (सीसी) पर सिक्कों के थैलों के लोडिंग/ अनलोडिंग के प्रभार भी शामिल हैं?	यह निविदा केवल सिक्कों के परिवहन कार्य के लिए है।

नोट:

- बोली-पूर्व बैठक का उपर्युक्त कार्यवृत्त निविदा दस्तावेज़ का भाग माना जाएगा।
- निविदा दस्तावेज़ के नियम व शर्तें और विनिर्देश यथावत बने रहेंगे।
- उपरोक्त स्पष्टीकरण सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं की जानकारी के लिए जारी किए गए हैं। फर्म द्वारा निविदा जमा करना निविदा दस्तावेज़ और ऊपर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा।